दिनांक 16.2.18
पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब राजस्व कार्य से ग्रामों पर पधारे हैं
अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक
27/3/18 को पेश हो।
27-3-18

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब
अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक
11-5-2018 को पेश हो।

दि० 11-5-2018 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। साहब दौरा पर होने के कारण मूलगांव में पधारे हैं। अतः पत्रावली इलतवा होकर आगामी कार्यवाही हेतु साहब के समक्ष सहायक कलेक्टर सेवा केन्द्र लांबड़ी में दिनांक 6.6.2018 को पेश हो।

दिनांक 6-6-2018

आज यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विधानसभा राजस्व ग्राम खोने का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से अन्य लंबित दुरस्त अभियान 2018 के तहत सहायक कलेक्टर सेवा केन्द्र लांबड़ी में पेश हुई। विपक्षी की सुनवाई के पश्चात प्रार्थी तथा अप्रार्थी गण तथा अप्रार्थी गण के अधिवक्ता उपस्थित हुये हैं। अप्रार्थी सं. 48 स्टेट हाईवे सिरोही ने हाजिर होकर बहस करते हुये कथन किया कि प्रार्थी गण का उपरोक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और न ही इनके नाम का इन्द्राज कभी भी राजस्व रेकर्ड में है तथा प्रार्थीगण का गत 70 वर्षों से कब्जा होना व इनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना है।

हमने विचारण किया। इस पत्रावली के संलग्न प्रावधान अध्याय 2.12 R.T.Act मय बाद मूल भूमि की जमाबंदी संवत 2068-2071 खाता नं. 93, खाता नं. 116, खाता नं. 56, खाता नं. 15 खाता नं. 23 मांग पंजीयन पटवार हल्का लांबड़ी तथा प्रार्थीगण सं. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page

21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 का जवाब तथा जमाबंदी संवत 2068-2071 खा.नं. 294, 296, 297, 298, 304, 305, 306, तथा खा.नं. 58, 518, 541, 578, 445, 446, 48, 73, 447, 448 मौजा क्रेडिट कार्ड सोनाराम पुत्र धमनाराम पुरोहित काश्तकार सेटलमेन्ट विभाग की जमाबंदी खतौनी बीससाला 14.6.04 13-6-2024 का गहनता पूर्वक अध्ययन कर उसपर मनन किया।

विचारण प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 9-2-2016 को अपीलार्थी सं. 15, 16, 18, 27 तथा न्यायालय द्वारा पि. 4, 5, 6, 25 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश दिये जा चुके है।

हमने विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली तथा पत्रावली तथा धारा 212 R.T.Act व जवाब तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड प्रतियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उसपर मनन किया। तथा अपीलार्थी सहित प्रत्यर्थी की बहस सुनकर उसपर भी गंभीरता से मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त निष्कर्ष यथातथ्य संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है कि धारा 212 R.T.Act के मामले में तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला जो हाईलाईट पर तथा सुविधा का संतुलन अधिपत्य कब्जा पर आधारित व अपूरणीय क्षति पक्षकार को दस्तावेज के आधार पर साबित करना होता है। विचारण प्रकरण में वाद बिन्दु कृषि भूमि पर प्रार्थीगण तथा अपीलार्थी सं. 31 से 47 तक के पूर्वजों का कब्जा था खेती की जाती रही है। वर्तमान उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी सं. 1 व 30 के पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसकी पुष्टि उक्त व जमाबंदी व सेटलमेन्ट विभाग की खतौनी व किसान क्रेडिट कार्ड से होती है। अपीलार्थी सं. 1 से 30 तक उक्त वाद बिन्दु कृषि भूमि के खातेदार कृषक है। कानूनन अपीलार्थीगण सं. 1 से 30 तक वाद बिन्दु कृषि भूमि के खातेदार कृषक होने से इनके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। उपरोक्त आधार पर प्रार्थीगण का उपरोक्त कृषि भूमि पर कभी कब्जा कायम नहीं रहा है और न ही उनके नाम का इन्द्राज किसी भी राजस्व रेकर्ड में है। गत 70 वर्षों से कब्जा होना तो प्रार्थीगण से है। गत 70 वर्षों से कब्जा होना तो प्रार्थीगण के नाम का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में होता। उपरोक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page

बनता है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कृषि भूमि के खातेदार खातेदार नहीं है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है प्रार्थी सं. 1 से 30 तक व उनके पूर्वजों ने प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 31 से 47 तक के पूर्वजों को भाई बंटवारे में उपरोक्त कृषि भूमि मिलने का देने का कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत करने का बयान पर उपलब्ध रेकर्ड से जाहिर नहीं होता है जबकि अप्रार्थी सं. 1 ता 30 तक अपने पूर्वजों के समय से विवादित कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है अतः उपरोक्त सभी के मद्देनजर प्रार्थीगण विपक्षीगण यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 212 R.T.Act का साबित करने में असफल रहने के फलस्वरूप प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 212 R.T.Act का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार (खारिज) किया जाता है नियम 20 लोकमान्य केन्द्र कोर्ट शुल्क सेवा केन्द्र हांवरी के माध्यम से ग्राम पंचायत चमावली के लिए श्रमिक होकर नंबर से कम हो

दिनांक 06/6/18

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)